उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 98/2023/1262/छप्पन-2023-25/2014
लखनऊ, दिनांक: 20 सितम्बर, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 की परिचालन इकाई में श्री राजेश कुमार नागर को पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर शासनादेश संख्या-1750/छप्पन-2011-20/10 दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के द्वारा वेतन बैण्ड-4, रू0 10000/- ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। उक्त शासनादेश के अनुक्रम में श्री राजेश कुमार नागर द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को उक्त पद पर अपना योगदान प्रस्तुत किया गया था।

2- श्री राजेश कुमार नागर, पायलट (फिक्स्ड विंग), नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 18 अगस्त, 2023 द्वारा अपनी पारिवारिक समस्या के दृष्टिगत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है जिसके क्रम में निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-143/ना0उ0नि0/व्य0पत्रा0/2023 दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा श्री राजेश कुमार नागर, पायलट (फिक्स्ड विंग) के त्याग-पत्र दिनांक 18 अगस्त, 2023 को स्वीकृत कर उन्हें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में शासन से यथोचित निर्णय लेने का प्रस्ताव करते हुए उल्लेख किया गया है कि श्री राजेश कुमार नागर, पायलट (फिक्स्ड विंग) वर्तमान में निलम्बित नहीं हैं और न ही उनके विरूद्ध कोई जांच अनुध्यात या लम्बित है तथा उनके प्रति किसी अपराधिक आरोप से सम्बन्धित अन्वेषण जांच या परीक्षण, जो सरकारी सेवक के रूप में उनकी शासकीय स्थिति से सम्बन्धित हो, लम्बित नहीं है। श्री राजेश कुमार नागर के प्रति यदि कोई शासकीय देनदारी पाई जाती है तो उसका समायोजन उनके अवशेष देयों से कर लिया जाएगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा किए गए उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राजेश कुमार नागर, पायलट (फिक्स्ड विंग) को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 में विहित प्राविधानों के अनुसार, आदेश निर्गत होने की तिथि से, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कुमार हर्ष
विशेष सचिव

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0सं0-98/2023/1262(1)/छप्पन-2023-25/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
3. श्री राजेश कुमार नागर, पायलट (फिक्स्ड विंग), नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।